संख्या-31/2026/I/1216362/2026/005/ 23-6099(099)/128/2025

प्रेषक,

सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के विभिन्न जनपदों के 17 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत कतिपय क्षेत्रों के विभिन्न जनपदों के 17 सेतुओं के चालू कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 13575.27 लाख (रूपये एक अरब पैंतीस करोड पचहत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	प्रस्तावित आवंटन		
								अनुदान सं0 57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18824/CE-SEB/RYB/PRJ/2025-26 Dt- 23-01-2026	सेतु निगम प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत खजरी-बरेन्द्र मार्ग पर सई नदी पर खुजरी घाट पर दीर्घ सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	265/2025 /आई/1082502/2025/23-6099/131/ 2025 दि0 09.09.2025	1328.58 1328.58 14.93 1313.65	1070.38	243.27	139.92	37.67	177.59
2	तदैव	सेतु निगम प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अंतर्गत त्रिलोकपुर बिसई-देवली मार्ग पर सई नदी बिसई घाट सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	292/2025 /आई/1118146/2025/23-6-2025-ई-1831535 दिनांक -15-10-2025	1210.43 1210.43 0.00 1210.43	940.42	270.01	165.06	44.43	209.49
3	18825/CE-SEB/RYB/BAR/2025-26 Dt- 23-01-2026	सेतु निगम पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में पूरनपुर-धौरी-कंचनपुर मार्ग निकट धनारा घाट पर शारदा नदी सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	63/2024/128/002-128-23-10002- 002-3-2024-दि नांक-07-03-2024	26913.59 26913.59 0.00 26913.59	9419.76	17493.83	7418.62	1997.07	9415.69
4	तदैव	सेतु निगम पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में मझौली बिरहनी (भरा पचपेड़ा) अन्य जिला मार्ग 04 लेन चौड़ीकरण के संरेखण में किमी0-07 पर प्रस्तावित 02 लेन के 02 देवहा नदी सेतु, मुख्य पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	97/2025/ 47/23-6-2025 -दिनांक-10-03-2025	3533.19 3533.19 0.00 3533.19	1236.62	2296.57	974.33	262.29	1236.62
5	18826/CE-SEB/RYB/LKO/2025-26 Dt- 23-01-2026	नि.ख.-1 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत खैरीपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त रपटा के स्थान पर नं0-10 बाक्स (3x3) मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य।	83/2025/672/23-6099/36/2 025-दिनांक-06-03-2025	218.68 218.68 30.97 187.71	131.40	56.31	44.37	11.94	56.31
6	तदैव	नि.ख.-3 खीरी	जनपद खीरी में विधान सभा पलिया के अन्तर्गत गोला-कुकरा टाउन मार्ग के कि0मी0-7 में स्थित क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3x3.00 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट का कार्य।	69/2025 /2186/23-6066/26/2024-दि नांक -19-02-2025	130.29 130.29 14.66 115.63	12.23	103.4	39.40	10.60	50.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7	तदैव	नि.ख.-1 हरदोई	जनपद हरदोई में गौरिया घाट राम गंगा नदी पर पान्टून सेतु का निर्माण।	160/2023/ 941/ 001-941-23-10 - 2023-37- सा0 -2023-दिनांक-0 6-09-2023	68.69 68.69 4.57 64.12	2.29	61.83	45.70	12.30	58.00
8	तदैव	नि.ख.-1 रायबरेली	जनपद रायबरेली में रायबरेली ड लमऊ फेतहपुर मार्ग (एस0एच0-13ए) के किमी0-9 में स्थित लघु से तु (बैदा नाला) पर 3x6.00 मी 0 स्पान आर0सी0सी0 बॉक्स क ल्वर्ट का निर्माण कार्य।	06/2025/ 2122 /23-6066/23/2 024-दिनांक- 13 -01-2025	224.46 224.46 13.54 210.92	101.09	109.83	31.52	8.48	40.00
9	18827 /CE-SEB/RYB/ADY/2025-26 Dt- 23-01-2026	सेतु निगम सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर-कटाॅवा रोड से अमिलिया खुर्द-मुंशीगंज सम्पर्क मार्ग पर गोमती नदी सेतु अमलिया खुर्द घाट पर सेतु के सेतु अंष, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	306/2025/ आई /1127584/ 202 5/23-6099/136 /2025 दि0 30.1 0.2025-दिनांक- 30-10-2025	2224.61 2224.61 0.00 2224.61	1999.79	224.82	93.73	25.23	118.96
10	तदैव	सेतु निगम सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में सुरापुर-विजेथुआ-गुदरा- कोइरीपुर मार्ग पर गोमती नदी सेतु, पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति का निर्माण काय।	295/2025 /आई /1123426/ 202 5/ 23-6099/13 0 /2025 दिनांक -27-10-2025	2418.92 2418.92 0.00 2418.92	2039.04	379.88	204.01	54.92	258.93
11	तदैव	सेतु निगम अमेठी	जनपद अमेठी में शुकुलबाजार-पाली-समदा-रूदौली मार्ग पर गोमती नदी पर दीर्घ सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	255/2025/I /10 48572 /2025/2 3-6-2025-ई- 1 799145 दिनांक 01-01-1970	2186.26 2186.26 0.00 2186.26	1852.39	333.87	176.93	47.63	224.56
12	18828/CE-SEB/RYB/GKP/2025- 26 Dt- 23-01-2026	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में छोटी गण्डक नदी पर (रमईता घाट) पर 3x18ण्75 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	116/2021/ 1213 /23- 10-21-28(सेतु) /2021- दिनांक-09-12-202 1	466.07 466.07 40.95 425.12	349.56	75.56	23.64	6.36	30.00
13	तदैव	सेतु निगम गोरखपुर	जनपद गोरखपुर एवं देवरिया को जोड़ने हेतु जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी सेतु बैरियाखास के सेतु, पहुॅच मार्ग, अतिरिक्त पहुॅच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य।	181/2025/ 949/ 23-6099/47 /2 025- दिनांक-31 -03-2025	7169.20 7169.20 0.00 7169.20	1075.38	6093.82	1127.64	303.56	1431.20
14	18829/CE-SEB/RYB/KNP/2025-26 Dt- 23-01-2026	प्रा.ख. कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में सिहुरा मीरा से सियारी नाला तक मार्ग में सियारी नाला (ग्राम कठारा) पर 2 गुणा 6 मीटर स्पान के लघु सेतु का पुर्ननिर्माण कार्य।	27/2024/ 2082 /001-1407- 20 24-23-11- 202 4- दिनांक-06-1 2-2024	78.27 78.27 1.39 76.88	62.62	14.26	11.24	3.02	14.26
15	तदैव	प्रा.ख. कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में डिलवल खानपुर मार्ग (किमी0-4) के नाले पर स्थित 3 गुणा 5.00 मीटर स्पान लघु सेतु का निर्माण कार्य।	06/2025/ 2122 /23-6066/23 / 2024-दिनांक-13 -01-2025	120.35 120.35 13.76 106.59	92.89	13.7	10.79	2.91	13.70
16	18830/CE-SEB/RYB/VNS/2025- 26 Dt- 23-01-2026	प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में गोमती ब्रिज डायवर्जन मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5x5x5 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	188/2024 /122 9/001-1229 -2 3-10-16-2024- दि नांक-12-11-2 024	256.02 256.02 0.35 255.67	179.21	76.46	50.17	13.51	63.68
17	18831/CE-SEB/RYB/SAH/2025-26 Dt- 23-01-2026	प्रा.ख. शामली	जनपद शामली में बधैव से गोहरनी मार्ग पर पूर्वी यमुना नहर पर कि0मी0 1 में स्थित संकरा पुल का पुनःनिर्माण कार्य।	69/2025/ 2186 /23-6066/26/ 2024- दिनांक-1 9-02-2 025	311.85 311.85 17.09 294.76	103.74	191.02	138.89	37.39	176.28
				कुल योग				**10695.96**	**2879.31**	**13575.27**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,06,95,96,000 (रुपये एक अरब छह करोड़ पंचानबे लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 28,79,31,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ उनासी लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।